भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2491

जिसका उत्तर सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

उत्तरदायी ऋणदाय और उचित मूल्य निर्धारण हेतु राष्ट्रीय स्तर का ढाँचा

2491. थिरु दयानिधि मारन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऋण और जमा वृद्धि के बीच निरंतर अंतर को देखते हुए दीर्घकालिक वित्तीय प्रणाली स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु घरेलू बचत को बैंक जमा में प्रोत्साहित करने की कोई योजना बना रही है;

(ख) क्या ऋण उपलब्धता को विकृत किए बिना तरलता को संतुलित करने के लिए नियामकीय बदलावों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या आरबीआई द्वारा नकदी कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानदंडों को पुन: निर्धारित करने के इरादे के मद्देनजर वित्तीय प्रणाली में नकदी की अचानक कमी को रोकने के लिए पूरक राजकोषीय बफर या समन्वित तरलता उपकरण शुरू करने पर सरकार का विचार है;

(घ) क्या सरकार असुरक्षित खुदरा ऋण और सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों में बढ़ते दबाव को देखते हुए, विशेष रूप से कमजोर उधारकर्ताओं के लिए, छोटे-टिकट ऋणों में जिम्मेदार ऋण और उचित मूल्य निर्धारण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के ढांचे पर विचार कर रही है; और

(ङ) क्या सरकार प्रणालीगत अंतर्संबंध और संभावित संक्रामक जोखिमों की निगरानी के लिए प्रकटीकरण-आधारित निरीक्षण तंत्र की आवश्यकता को देखती है क्योंकि निजी ऋण बाजार पारंपरिक नियामक दायरे से बाहर तेजी से बढ़ रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): सरकार ने ऋण तक पहुंच बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में व्यापक उपाय किए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं तक सर्वसुलभ पहुंच, डिजिटल बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार और वित्तीय जागरूकता को चतुर्दिक बढ़ाना शामिल है। इसके परिणामस्वरूप, जमाराशि जुटाने की प्रक्रिया सुदृढ़ हुई है और वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिति में सुधार हुआ है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के अनंतिम आँकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की जमा और ऋण में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि ने केवल

एक आधार बिंदु का अंतर दर्शाया है, जो समष्टि स्तरीय (मैक्रो-लेवल) संरेखण और वित्तीय क्षेत्र के लिये सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती (रिवर्स) रेपो (वीआरआरआर), और खुला बाजार संचालन (ओएमओ) जैसे उपकरणों के माध्यम से सक्रिय रूप से चलनिधि की स्थितियों का प्रबंधन करता है। इन परिचालनों का उद्देश्य जैसा कि अपेक्षित है, चलनिधि का निवेश या उसे आत्मसात करना है, मौद्रिक नीति के रुख के साथ प्रणाली संबंधी चलनिधि को संरेखित करना, सक्षम ऋण आवंटन का समर्थन करना और वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करना है।

चलनिधि मानकों के संबंध में आरबीआई ने यह सूचित किया है कि उसने दिनांक 21.04.2025 के परिपत्र के माध्यम से चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी संशोधित मानदंडों का उद्देश्य बैंकों की आघातसहनीयता (लचीलापन) को बढ़ाना और प्रणालीगत चलनिधि की अप्रत्याशित कमी को रोकना है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इंटरनेट पर और मोबाइल बैंकिंग के साथ उपलब्ध जमाराशियों के लिए उच्च रन-ऑफ कारक, कतिपय थोक निधियन श्रेणियों के लिए रन-ऑफ दरों का पुनर्वर्गीकरण, और एलएएफ और एमएसएफ ढांचे के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर हेयरकट का अनुप्रयोग शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर स्थापित किए गए विभिन्न विनियामकीय ढांचों का उद्देश्य संवेदनशील वर्गों द्वारा प्राप्त छोटे आकार के असुरक्षित ऋणों सहित उत्तरदायी उधार और उधारकर्ता संरक्षण को बढ़ावा देना है। इनमें दिनांक 19.10.2023 का आरबीआई (सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निर्देश, 2022; मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 और ऋण और अग्रिमों पर दिनांक 01.07.2015 के मास्टर परिपत्र के अंतर्गत उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध शामिल हैं। इन ढांचों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सामूहिक रूप से उचित मूल्य निर्धारण, मानकीकृत मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) का प्रावधान और जवाबदेह वसूली पद्धतियों के कार्यान्वयन का अधिदेश दिया गया है।

वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-विनियामकीय समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को सुदृढ़ और संस्थागत बनाने की दृष्टि से वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) जैसे संस्थागत तंत्रों के माध्यम से विनियामकीय समन्वय को सुदृढ़ किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक अपने अधिक विवेकपूर्ण निगरानी ढांचे के माध्यम से उभरती वित्तीय असुरक्षाओं की निगरानी करता है।

******